2017/33

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –19/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
हुक्मीराम पुत्र रामाकिशन जाति जाट निवासी डांगावास तहसील मेड़ता।		1. रामकरण पुत्र छोगाजी जाति जाट निवासी डांगावास तहसील मेड़ता जिला नागौर 2. तहसीलदार मेड़ता, जिला नागौर।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री डूंगरराम चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से राज वकील श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय

दिनांक 29-6-17

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मेड़ता के मुकदमा नम्बर ..../72(474/73) अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत प्रकरण में नायब तहसीलदार मेड़ता की नियमन की सिफारिश दिनांक 28.9.73 पर दिनांक 24.6.74 को तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट हुकमीराम द्वारा यह अपील दिनांक 13.02.2017 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा अपील मे साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र तथा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के संबंध में वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट को सार्वजनिक हित की रास्ते की भूमि में से कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा अपने खेत की भूमि के पास रास्ते की भूमि का नियमन कर देने से उसका आवागमन बाधित होना तथा वक्त आवंटन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना उचित होने से अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस में कथन किया की मौजा डांगावास के साबिका खसरा नम्बर 1135 जिसके हाल खसरा नम्बर 2305 अपीलान्ट के कब्जा काश्त खातेदारी का खेत आया हुआ है। अपीलान्ट के इस खेत के चिपता पूर्व में स्थित गैर मुमकिन रास्ता साबिका खसरा नम्बर 1134 जिसके हाल खसरा नम्बर 2292 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि आई हुई है। इस रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षों से प्रार्थी व उसके पूर्वज करते आये तथा अन्य ग्रामवासी लोगो द्वारा इस रास्ते का उपयोग करते आये है। 20 मई 2016 में रेस्पोडेन्ट संख्या रामकरण 1 ने अपीलांट को धमकी दी कि अपीलांट के खेत के आगे रेस्पोडेंट संख्या 1 का बाडा है तथा अपीलांट अपने खेत का रास्ता कहीं और से देखे, तथा रास्ता बंद कर देने की धमकी दी। जिस पर अपीलांट ने नक्शा व खतोनी की नकल ली, मगर उसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 के पट्टे अथवा बाडे का इन्द्राज नही था और न है।

प्रार्थी/अपीलांट के उपरोक्त खेत के पूर्व में स्थित चिपते रास्ते की भूमि पर दिनांक 1.12.16 के आस–पास रामनिवास पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी डांगावास वाले ने रेस्पोडेंट संख्या 1 रामकरण के सहयोग से जबरन अतिकमण कर रास्ते को अवरुद्ध करने लगा तथा रास्ता की भूमि पर कांटे डालकर बाडा बनाने पर आमादा हे और रातोंरात कांटों की बाड़ बना ली तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 रामकरण के सिखाने पर कहने लगा कि उक्त भूमि रामकरण पुत्र छोगाजी जाट की पट्टाशुदा भूमि है और खरीद कर लेने का कथन किया। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 1.12.2016 को ही तहसीलदार साहब मेड़ता को प्राथी/अपीलान्ट को रास्ते की भूमि पर उक्त रामनिवास व रामकरण के द्वारा अतिकमण करने की शिकायत पेश की जिस पर तहसीलदार मेड़ता ने पटवारी हल्का से जांच दिनांक 4.1.2017 को करवाई तो पटवारी के आने से कुछ देर पहले उक्त रेस्पोडेंट संख्या 1 रामकरण ने प्रार्थी के खेत के आगे से थोड़े से कांटे [illegible]

4.1.17 में पटवारी हल्का ने मौके की व रेकर्ड की स्थिति को स्पष्ट किया तथा तहसील कार्यालय में दिनांक 6.2.2017 को पटवारी हल्का को रेस्पोडेंट संख्या 1 रामकरण ने आदेश जैर अपील व पट्टे का म्यूटेशन करने के लिये कार्यवाही करने का कहा जहां पर आदेश जैर अपील पत्रावली मुकदमा न..../72 (474/73) व दिनांक अपीलान्ट ने देख कर नोट कर लिये और अपीलान्ट ने नकल आवेदन दिनांक 6.2.2017 को कर, नकल दिनांक 7.2.2017 को सांय को प्राप्त की । जिस पर मामले की पूर्ण जानकारी हुई। जिसकी अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद पेश करते है। फिर भी देरी माफी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का जबाब प्रस्तुत करते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 2305 के पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व छोटूराम तथा राम निवास के कदीमी बाड़े है, जिसके चारो तरफ चार दिवारियां निकाली हुई है, अन्दर रहवासी कमरे बने हुऐ है। बाड़े सन् 1973 के पहले से ही रहते चले आये है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट के बुजुर्गो को भी रहती आयी है व उक्त बाड़ो के पूर्व में आम रास्ता है, जहां पक्की सड़क बनी हुई है, जो आज दिन भी 40 फुट चौड़ी सड़क मौजूद है और अपीलान्ट के खेत से रास्ते तक आने जाने के लिए करीब 40 फुट चौड़ी जमीन रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है, इसलिए अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि दिनांक 20.5.2016 को रेस्पोडेन्ट ने उसके खेत का रास्ता रोकने की धमकी दी है और तब उसने नक्शे व खतौनियों की नकल प्राप्त की है।

अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण के अतिक्रमण की झूठी शिकायत की, जो तहसीलदार मेड़ता ने बाद जॉच झूठी पाई है। अपीलान्ट के इस कथन का वह निराधार नहीं है कि दिनांक 9.1.2017 व उसके बाद उसे वादग्रस्त बाड़े के नियमन जानकारी हुई है, बल्कि वादग्रस्त बाड़ा पिछले 45 वर्ष से ज्यादा समय से मौके पर मौजूद है और अपीलान्ट को शुरू से ही बाड़े व नियमन की जानकारी थी, केवल मात्र 42 वर्ष पूर्व पारित आदेश को चुनौति देने के लिए मनगढ़त तथ्यों के आधार एक काल्पनिक व मिथ्या जानकारी का होना बताते हुए यह आवेदन पेश किया है जिसका कोई आधार नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर पेश की गई होने से खारिज करने का निवेदन किया। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन पर न्यायहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अपील की मैरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया की मौजा डांगावास के साबिका खसरा नम्बर 1135 जिसके हाल खसरा नम्बर 2305 अपीलान्ट के कब्जा काश्त खातेदारी का खेत आया हुआ है। अपीलान्ट के इस खेत के चिपता पूर्व में स्थित गैर मुमकिन रास्ता साबिका खसरा नम्बर 1134 जिसके हाल खसरा नम्बर 2292 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि आई हुई है। इस रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षों से प्रार्थी व उसके पूर्वज करते आये तथा अन्य ग्रामवासी लोगो द्वारा इस रास्ते का उपयोग करते आये है। 20 मई 2016 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण ने अपीलांट को धमकी दी कि अपीलांट के खेत के आगे रेस्पोडेंट संख्या 1 रामकरण का बाडा है तथा अपीलांट अपने खेत का रास्ता कहीं और से देखे, तथा रास्ता बंद कर देने की धमकी दी। जिस पर अपीलांट ने नक्शा व खतोनी की नकल ली, मगर उसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 रामकरण के पट्टे अथवा बाडे का इन्द्राज नही था और न है।

प्रार्थी/अपीलांट के उपरोक्त खेत के पूर्व में स्थित चिपते रास्ते की भूमि पर दिनांक 1.12.16 के आस–पास रामनिवास पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी डांगावास वाले ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के सहयोग से जबरन अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्व करने लगा तथा रास्ता की भूमि पर कांटे डालकर बाडा बनाने पर आमादा है और रातोंरात कांटों की बाड़ बना ली तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 रामकरण के सिखाने पर कहने लगा कि उक्त भूमि रामकरण पुत्र छोगाजी जाट की पट्टाशुदा भूमि है और खरीद कर लेने का कथन किया। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 1.12.2016 को ही तहसीलदार साहब मेड़ता को प्राथी/अपीलान्ट को रास्ते की भूमि पर उक्त रामनिवास व रामकरण के द्वारा अतिकमण करने की शिकायत पेश की जिस पर तहसीलदार मेड़ता ने पटवारी हल्का से जांच दिनांक 4.1.2017 को करवाई तो पटवारी के आने से कुछ देर पहले उक्त रेस्पोडेंट संख्या 1 रामकरण ने प्रार्थी के खेत के आगे से थोड़े से कांटे हटवाकर 2–3 फुट चौड़ी पगडण्डी खुली करवा दी ।

आदेश जैर अपील दिनांक 28.9.73 से दिनांक 1.12.2016 तक रेस्पोडेंट संख्या 1 रामकरण का कोई कब्जा नहीं था और आदेश जैर अपील अंधेरे में पड़ा रहा, आदेश की कोई पालना म्यूटेशन आदि नहीं हुआ। जिससे साफ जाहिर है कि आदेश जैर अपील अपने आप में न तो सही

कलक्टर, नागौर

बंद हो जाने से अपीलान्ट व अन्यों को आवागमन में कठिनाई हो रही है इस प्रकार से प्रार्थी/अपीलान्ट पीड़िता पक्ष है तथा उसका हित निहित है। जिससे प्राथी/अपीलान्ट व्यथित व्यक्ति है तथा अपीलान्ट रास्ता से प्रभावित व्यक्ति है। जिससे कानून में सुनवाई का हक प्राकृतिक न्याय के तहत उपलब्ध है और इस विवादित भूमि बाबत अपील पेश करने का अधिकार रखता है। विवादित भूमि सार्वजनिक हित की होकर रहती चली आयी है।

मौजा डांगावास के साबिका खसरा नम्बर 1134 जिसके नये खसरा नम्बर 2292 गै.मु. रास्ता रेकर्ड व नक्शा से साबित है। तथा गै.मु. रास्ता सार्वजनिक उपयोग के लिए है। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण के विरूद्ध रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण करने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर बेदखल करने का निवेदन तहसीलदार मेड़ता को किया। क्योकि रास्ता की भूमि पर किसी भी पक्षकार को कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। न ही ऐसी भूमि का नियमन अथवा आवंटन किया जा सकता है। इसलिए तहसीलदार मेड़ता का आदेश जैर अपील नाजायज कब्जे को रेगूलराईज कर दिया, जो विधि विपरित है।

गैर मु. रास्ता पर नाजायज कब्जा को किसी भी तरह से वैध नहीं ठहराया जा सकता है। और न ही रेस्पोडेन्ट संख्या–1 रेगूलराईज करवाने का हकदार है। और न ही ऐसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण को खातेदारी दी जा सकती है। चूँकि धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता ने नायब तहसीलदार मेड़ता के नियमन की सिफारिश दिनांक 28.9.73 पर दिनांक 24.6.74 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण के हक में नियमन कर दिया, जो रिकार्ड के अनुसार सही नहीं है। क्योकि न तो तहसीलदार इस विवादित गैर मुमकिन रास्ते को किसी भी नियमों के तहत रेगूलराईज कर सकता था और न ही अधिनस्थ न्यायालय को इस विवादित भूमि को रेगूलराईज करने बाबत सलाहकार समिति का कोई आदेश था।

विवादित जैर अपील भूमि गै.मु. रास्ता है तथा शुरू से ही रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में आती रही है। तथा ऐसी भूमियां राज्य सरकार के स्वामित्व की होती है। जिस पर बाड़ा नियमन अथवा आवंटन अथवा खातेदारी नहीं दी जा सकती है। कानून के अनुसार सरकारी वर्जित भूमियों पर अतिक्रमण को रेगूलराईज धारा 91 आई.एल.आर. एक्ट के तहत अनुज्ञेय नहीं है।

जैर अपील मामले में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 तहसीलदार मेडता द्वारा आदेश संख्या एफ.6(17)राज(ख)71 दिनांक 3.7.1971 का हवाला दिया, जिसके तहत जैर अपील प्रकरण नहीं आता है। चूँकि प्रथम तो विवादित भूमि गै.मु. रास्ता सार्वजनिक हित की है तथा धारा 15 व 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में इन भूमियों के संबंध में किन्ही को भी खातेदारी अधिकार दिये जाने से वर्जित किया गया है। तथा उक्त आदेश आबादी क्षैत्र में बने रहने के मकानों के संबंध में है। जिसके पास कोई आबादी क्षैत्र में मकान नहीं हो तथा इस आदेश में गै.मु. रास्ता की भूमि का नियमन किये जाने का हवाला भी नहीं है। दोयम में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण स्वर्ण जाति का व्यक्ति है। उक्त सरकारी आदेश अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है।

यदि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 छल कपट से दौराने अपील निर्णय से बाड़ा का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने लेने में कामयाब हो जावे तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण की अवैध दर्ज खातेदारी को निरस्त किया जाकर पुनः राजकीय रेकर्ड में राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराये जाने तथा अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील को निरस्त करने का निवेदन किया है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1990 पेज संख्या 477, आर. आर.टी. 2014–15 (SUPP.) पेज संख्या 659, आर.आर.टी. 2006 (1) पेज संख्या 631, आर.आर.डी. Dec. 2005 पेज संख्या 768, आर.आर.डी. 1991 पेज संख्या 492, आर.आर.डी. 1990 पेज संख्या 479, प्रपत्र आवेदन पत्र सरकारी अनाधिकृत, गौचर भूमि, चारागाह, गैर मुमकिन भूमियां, वन एंव मकानों में अनाधिकृत निर्माण के नियमन हेतु आवेदन पत्र, आर.आर.डी. 1988 पेज संख्या 662, आर.आर.डी. 1992 पेज संख्या 496, आर.आर.डी. 1997 पेज संख्या 106, आर.आर.डी. 1989 पेज संख्या 445 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 2305 के पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 रामकरण व छोटूराम तथा राम निवास के कदीमी बाड़े है, जिसके चारो तरफ चार दिवारियां निकाली हुई है, अन्दर रहवासी कमरे बने हुऐ है। बाड़े सन् 1973 के पहले से ही रहते चले आये है। जिसकी जानकारी

रास्ते तक आने जाने के लिए करीब 40 फुट चौड़ी जमीन रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है, इसलिए अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि दिनांक 20.5.2016 को रेस्पोडेन्ट ने उसके खेत का रास्ता रोकने की धमकी दी है। और तब उसने नक्शे व खतौनियों की नकल प्राप्त की है।

अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण के अतिक्रमण की झूठी शिकायत की, जो तहसीलदार मेड़ता ने बाद जॉच झूठी पाई है। वादग्रस्त बाड़ा पिछले 45 वर्ष से ज्यादा समय से मौके पर मौजूद है। अपीलांट ने मनगढ़त तथ्यों के आधार एक काल्पनिक व मिथ्या जानकारी का होना बताते हुए यह अपील पेश की है, जिसका कोई आधार नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी अपील के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 (2), आर.आर.डी. 2001 पेज संख्या 406, आर.आर.डी. 1994 पेज संख्या 208, आर.आर.डी. 1995 पेज संख्या 628, ए.आई.आर. 1994 एस.सी. पेज संख्या 1128 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एंव वकुलाय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम डांगावास के खसरा नम्बर 1134 रकबा 04 बिस्वा किस्म भूमि रास्ता पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर काश्त व बाडा बनाकर अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का डांगावास की रिपोर्ट दिनांक 28.11.71 तहसीलदार मेडता के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण द्वारा दिनांक 15.04.72 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता के समक्ष जवाब पेश किया गया, तत्पश्चात् प्रकरण की सुनवाई नायब तहसीलदार मेडता के द्वारा की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण द्वारा दिनांक 14.09.73 को अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता के समक्ष पुनः जवाब पेश किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण द्वारा अपने जवाब दिनांक 15.04.72 में उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्वंय का 40–45 साल से पुराना कब्जा होकर बाडा बना हुआ होना तथा बाडे में घास फुस व मवेशी बांधना बताया एंव इसके सिवाय स्वंय के पास कोई बाडा नहीं होने का कथन करते हुए वाजिब किमत लेकर पट्टा बनाने का निवेदन किया है तथा जवाब दिनांक 14.09.73 में उक्त वादग्रस्त भूमि पर 25 वर्षो से कब्जा होना और इस पर बाडा बना हुआ होना तथा स्वयं को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं कर हस्ब कायदा लगान लिया जाकर स्वंय के नाम खातेदारी करवाये जाने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा जवानाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी डांगावास सरपंच डांगावास के बयान कलमबद्ध किये।

नायब तहसीलदार मेडता ने अपने आदेश दिनांक 28.09.1973 के द्वारा उक्त बयानों व दस्तावेजों के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि में बाडा दिनांक 18.02.55 से पूर्व का होना तथा निःशुल्क सनद जारी किया जाना उचित मानकर राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.6 (1)राज/ख/71 दिनांक 03.07.71 के अन्तर्गत उक्त वादग्रस्त भूमि का नियमन करना उचित मानते हुए प्रकरण अन्तिम आदेश हेतु तहसीलदार मेडता को भिजवाया। जिस पर तहसीलदार मेडता द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.06.1974 के द्वारा नायब तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के अवलोकन पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि मौजा डांगावास के खसरा नम्बर 1134 में से 387 वर्गगज भूमि बाड़ा हेतु स्वीकृति के आदेश दिये जाकर सनद फीस में 5 रूपये वसूल करने हेतु पटवारी को व रकर्ड में अमल दरामद करने का लिखा जाने के आदेश दिये एवं उक्त आदेश के अनुक्रम में तहसीलदार मेड़ता द्वारा राजस्थान सरकार के आदेश संख्या एफ.6 (17)राज/ख/71 दिनांक 03.07.1971 के अनुसार गृह संबंधी पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण के पक्ष में दिनांक 24.06.74 को जारी किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार मेडता द्वारा नायब तहसीलदार मेडता की रिपोर्ट पर वादग्रस्त भूमि जो कि रास्ते की भूमि है। उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से आर.टी.एक्ट की धारा 16 के अनुसार आंवटन व नियमन योग्य भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नियमन कर पट्टा जारी कर दिया, जो कतई विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मेड़ता का आदेश जैर अपील दिनांक 28.09.73 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेडता का आदेश जैर अपील दिनांक 24.06.1974 को विधि सम्मत नहीं होने के आधार पर निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया।